

**न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड**  
**(समक्ष: मोहम्मद अजहर)**  
**दॉ.पुनरीक्षण क.-240/14**  
**संस्थित दिनांक 16.09.14**

बाबू सिंह पुत्र देवलाल सिंह आयु आयु 63 वर्ष  
जाति यादव निवासी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.... पुनरीक्षणकर्ता

वि रु द्ध

1. आर. के गुप्ता पुत्र आर.डी. गुप्ता, ए.एस.आई. थाना गोहद पुलिस निरीक्षक हाल निवासी पुलिस लाइन मुरैना म0प्र0
2. घनश्याम सिंह तोमर पुत्र भोगीराम प्रधान आरक्षक थाना गोहद हाल निवासी एस.आई. श्योपुर म0प्र0
3. हरवीर सिंह पुत्र शिवमंगल आरक्षक थाना गोहद हाल निवासी उपनिरीक्षक थाना कंपू ग्वालियर म0प्र0

..... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।  
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

// आदेश //

(आज दिनांक 26.10.17 को पारित)

1. यह पुनरीक्षण याचिका धारा-397 एवं 399 दं0प्र0सं0 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री केशव सिंह) के द्वारा मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 323/03 पुराना प्रकरण क्रमांक 83/88 परिवाद उनवान बाबूसिंह बनाम आर.के. गुप्ता एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.09.14 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण की जमानत का आदेश कर उन्हें जमानत पर रिहा किया है।
2. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी

बाबूसिंह के द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण आर.के.गुप्ता, घनश्याम सिंह, हरवीर सिंह एवं गंभीर सिंह के विरुद्ध धारा-500, 323, 164, 294, 506बी भा0दं0सं0 के तहत दिनांक 07.04.88 को प्रस्तुत किया, जिस पर से विचारण न्यायालय द्वारा जांच की जाकर दिनांक 06.05.88 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-500, 323, 164, 294 एवं 506बी भा0दं0सं0 के तहत संज्ञान लिया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आदेशिकाएं जारी की गईं। दिनांक 27.03.08 को अभियुक्त गंभीर सिंह व फरियादी बाबूसिंह के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण धारा-323, 294, 506 भाग-02 एवं 500 भा0दं0सं0 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से गंभीर सिंह को दोषमुक्त किया गया तथा परिवादी ने धारा-164 भा0दं0सं0 के तहत गंभीर सिंह के विरुद्ध परिवाद वापिस लिया। जिसके आधार पर धारा-164 भा0दं0सं0 के आपराध से गंभीर सिंह को दोषमुक्त किया गया। शेष अभियुक्तगण आर.के. गुप्ता, घनश्याम, एवं हरवीर सिंह के विरुद्ध प्रकरण का विचारण चला, तीनों अभियुक्तगण के उपस्थित न होने से उनका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। दिनांक 03.09.14 को पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा विचारण न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.14 के माध्यम से उनका जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत एवं बंधपत्र पर रिहा किया गया। उक्त आदेश दिनांक 03.09.14 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण प्रस्तुत की गई है।

3. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अंतिम तर्क में एवं पुनरीक्षण में यह आधार लिए गए हैं कि अभियुक्तगण को पूर्व से जानकारी थी और वे जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हुए थे, इस तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा ओवरलुक करते हुए आवैधानिक आलोच्य आदेश पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय ने स्थाई गिरफ्तारी वारंट के प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा समर्पण किए जाने की दशा में उसी दिन किसी भी प्रकरण में उन प्रकरणों के अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिया है। परंतु इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपने ही मत को भिन्न करते हुए अभियुक्तगण को लाभ देने के उद्देश्य से गलत आदेश पारित किया है। यह प्रकरण 1988 में पंजीबद्ध हुआ था, तत्समय 506बी गंभीर अपराध एवं अजमानतीय स्वरूप का

था, वर्ष 2001 में दंडप्र0सं0 में संशोधन करके जमानतीय स्वरूप का किया गया है इसलिए विचारण न्यायालय में पूर्व की विधि लागू होगी। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में धारा-164 भा0दंड0सं0 के अतिरिक्त सभी धाराओं को जमानतीय स्वरूप का माना है, इसलिए आदेश विधि विरुद्ध है।

4. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अंतिम तर्क में एवं पुनरीक्षण में यह आधार भी लिए गए हैं कि एक ओर अभियुक्तगण अपने आप को न्यायालय में समर्पण करना प्रकट कर रहे हैं जबकि थाना प्रभारी प्रथक से गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना प्रकट कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए एक आरक्षक नियुक्त किया जाना अंकित किया है, जबकि विधि का यह प्रावधान है कि गिरफ्तारी वारंट की तामील उपनिरीक्षक पद से निम्न कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जमानत दिए जाने के पूर्व पुनरीक्षणकर्ता/प्रतिवादी के द्वारा जमानत दिए जाने पर घोर आपत्ति प्रकट की थी तथा लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय के द्वारा आपत्ति के तथ्यों का उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं किया गया है, मात्र आपत्ति किए जाने का उल्लेख किया है। अभियुक्तगण को लाभ देने के लिए एकपक्षीय आदेश किया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। पश्चातवर्ती आदेश पत्रिका दिनांक 03.09.14 में अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया है। परंतु पूर्ववर्ती आदेश पत्रिका में उल्लेखित आदेश तथा फरारी पंचनामे पर टिप्पणी की गई है तथा अविश्वास व्यक्त किया है। एक ही न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश पर कोई टिप्पणी पश्चातवर्ती आदेश पत्रिका में नहीं की जा सकती है। इस कारण से भी आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.14 को अपास्त किया जाकर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से आदेश पारित किया है, जो किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। पुनरीक्षण निरस्त किए

जाने की प्रार्थना की गई है।

6. इस पुनरीक्षण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है :-

क्या विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.14 अशुद्ध, अवैध, अनौचित्यपूर्ण है तथा इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य है ?

### सकारण निष्कर्ष

7. उभयपक्ष को सुने जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.14 के द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण के आवेदन अंतर्गत धारा-437 दं0प्र0सं0 को स्वीकार करते हुए उन्हें 20,000-20,000/-रुपए की दो सक्षम जमानत व इतनी ही राशि के बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है। जिसके पालन में अभियुक्तगण की ओर से जमानत व मुचलके प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध ही यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।
8. न्यायदृष्टांत मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई. आर. 1978 एस.सी 47 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण नहीं की जा सकती है अपितु उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 द.प्र.स. के तहत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवेदन अंतर्गत धारा-437 दं0प्र0सं0 स्वीकार कर जमानत दिए जाने वाला आदेश अंतर्वर्ती आदेश है जिसकी पुनरीक्षण नहीं हो सकती है।
9. न्याय दृ० उ०प्र० राज्य बनाम करन सिंह 1988 किमिनल लॉ जरनल 434 (इलाहबाद) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत मंजूर किए जाने का आदेश अंतर्वर्ती आदेश होता है। इसलिए इसका समुचित उपचार जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन करना या यदि अनुज्ञेय है तो धारा-482 दं0प्र0सं0 के अधीन याचिका फाइल करना या रिट फाइल करना है। न्याय दृ० राधेश्याम बनाम उ०प्र० राज्य 1995

**किमिनल लॉ जरनल 556 (इलाहबाद)** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जमानत की नामंजूरी के विरुद्ध भी पुनरीक्षण बनाए रखे जाने योग्य नहीं है।

10. जहां तक कि अभियुक्तगण के जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित न होने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय के समक्ष ही विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अन्य प्रकरणों में उसी दिन जमानत का लाभ न देकर इसी प्रकरण में जमानत का लाभ दिए जाने के संबंध में यह जांच का प्रश्न था और इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
11. पुनरीक्षणकर्ता ने यह प्रश्न भी उठाया है कि धारा-506 भाग-02 का अपराध तत्समय अजमानतीय प्रकृति का था। जहां कि धारा-164 भा0दं0सं0 का अपराध अजमानतीय प्रकृति का था, तब ऐसी स्थिति में कुल प्रकरण अजमानतीय प्रकृति का हो जाता है।
12. जहां तक कि थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात न्यायालय में पेश करना बताना परंतु वास्तविक रूप से अभियुक्तगण का न्यायालय में समर्पण करना प्रकट करने से पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही के विरुद्ध संबंधित कर्मचारी, अधिकारी या थाना प्रभारी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में पुनरीक्षणकर्ता विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।
13. जहां तक कि उपनिरीक्षक पद से निम्न किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार न कर सकने का प्रश्न है, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से जो स्थाई गिरफ्तारी वारंट की प्रति प्रस्तुत की गई है, उसमें थाना प्रभारी गोहद के द्वारा टीप लगाई गई है। विधि का ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि गिरफ्तारी उपनिरीक्षक से निम्न पद का व्यक्ति नहीं कर सकता है। जहां तक कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व के स्थाई गिरफ्तारी वारंट की कार्यवाही आदि पर टिप्पणी करने का प्रश्न है, मात्र इस आधार पर आलोच्य आदेश को आपस्त नहीं किया जा सकता।
14. प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दिनांक 12.03.15 को जमानत व मुचलके निरस्त किए जाने का आवेदन अंतर्गत धारा-437(5) भी प्रस्तुत किया है, जो कि दिनांक 17.07.15 को



निरस्त किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.14 के विरुद्ध की गई यह पुनरीक्षण पोषणीय न होने के कारण निरस्त की जाती है।

15. इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित  
कर पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)